समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

Income Tax Act 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम—सरलता, कम बोझ और पारदर्शिता पर जो

Publisher

Published on 10 Feb 2026

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने **नए आयकर अधिनियम, 2025** के तहत बनाये गये **ड्राफ्ट नियम (Draft Income Tax Rules, 2026) और फॉर्म** जारी कर दिये हैं और संबंधित **पक्षकारों तथा आम जनता से 22 फरवरी 2026 तक सुझाव** आमंत्रित किये हैं। यह नया ढांचा **1 अप्रैल 2026** से लागू होने वाले नए कानून के लिए तैयारी का हिस्सा है।

नया कानून **60 से अधिक वर्ष पुराने Incometax Act, 1961** को बदलता है और इसे **सरल, स्पष्ट और टैक्सपेयर्स-फ्रेंडली** बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

मुख्य बाते (करदाताओं के लिए)

1) नियम और फॉर्म का सरलीकरण

• पुराने **511 नियमों और 399 फॉर्म्स** को **333 नियमों और 190 फॉर्म्स** में संकुचित किया गया है ताकि **आनुपालन और रिटर्न-फाइलिंग** तकलीफ़ें कम हों।
• ड्राफ्ट नियमों का लक्ष्य भाषा को आसान बनाना, जटिल सामग्री को हटाना और सामान्य करदाताओं के लिए समझने लायक बनाना है।

2) सुझाव देने की प्रक्रिया

• **CBDT (Central Board of Direct Taxes)** ने सुझाव आम जनता और पेशेवरों से **चार मुख्य श्रेणियों** में मांगे हैं:
– भाषा आसान बनाना
– मुकदमेबाज़ी (लिटिगेशन) घटाना

– अनुपालन बोझ कम करना
– पुराने, अप्रचलित या अनावश्यक नियमों/फॉर्म्स की पहचान

• सुझाव देने के लिए **e-Filing पोर्टल पर एक डेडिकेटेड utility** खोला गया है, जहाँ नाम व मोबाइल नंबर देकर **OTP सत्यापन** पूरी करने के बाद राय भेजी जा सकती है।

3) बदलाव का अर्थ

• नया मसौदा नियम **आयकर प्रणाली को डिजिटल-फर्स्ट और प्रोसेस-फ्रेंडली** बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे रिटर्न फाइल करना और अनुपालन करना आसान होगा।
• करदाताओं तथा टैक्स पेशेवरों को यह मौका मिलता है कि वे रिपोर्ट किए गए नियमों में **गलतियों, अस्पष्टताओं या आवश्यक सुधारों** के बारे में अपनी राय दे सकें, जिससे अंतिम नियम अधिक संतुलित बने।

टैक्सपेयर्स को क्या बदलाव देखने को मिल सकता है ?

हाल के ड्राफ्ट नियमों में यह संकेत मिल रहे हैं कि:
• ITR फॉर्म सादगी के साथ नए स्वरूप में होंगे—पूर्व में भरी जानकारी (pre-fill) व स्मार्ट इनपुट से **गलती की संभावना कम होगी**।
• नियमों की भाषा सरल होने से **कानूनी अस्पष्टताओं** का सामना कम होगा।
• अनुपालन बोझ और टेडियस प्रक्रियाओं में कमी कर उन नियमों को हटाया/संक्षिप्त किया जा रहा है जो आजकल **औचित्यहीन या पुराने** हैं।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.